न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 01/2023 (2023/9)

गोपाल पुत्र अमरा कुमावत निवासी शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

कानापुत्र जगन्नाथ कुमावत
भैरू पुत्र जगा कुमावत
कैलाशचन्द पुत्र हजारी कुमावत
माधु पुत्र हजारी कुमावत
सांवरलाल पुत्र हीरा कुमावत
दुर्गालाल पुत्र हरजी कुमावत
छोटूलाल पुत्र हरजी कुमावत
हीरा पुत्र रामकरण कुमावत
सत्यनारायण पुत्र श्रीकिशन कुमावत
रा पुत्र हजारी कुमावत
सीमा पत्नि कैलाशचन्द कुमावत
सत्यनारायण पुत्र मिश्रीलाल कुमावत
विजयलक्ष्मी पत्नि शंकरलाल माली
रिंकु कुमारी पत्नि शंकरलाल माली
हरिराम पुत्र जगनाथ माली
जगदीश पुत्र जगन्नाथ माली
नन्दा पुत्र गंगाराम कुमावत
तमाम निवासीगण शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थीगण

रामकिशन पुत्र अमरा जाति कुमावत निवासी शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

स्थितः–
कमलेश कुमार शर्मा :– अधिवक्ता प्रार्थी
कार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
220–204	417	0.40	बारानी उत्तम
	418	0.15	बारानी उत्तम
	419	0.36	बारानी उत्तम
	420	0.31	चाही 1 जाव 1
	560	0.20	चाही 1 जाव 1
	561	0.03	चाही 1 जाव 1
	562	0.10	गै.मु.चाह
	630	0.09	नहरी 1
	730	0.49	चाही उत्तम जाव उत्तम
	कुल किता 9	**कुल रकबा 2.13 हैक्टर**	

उपखण्ड अधिकारी

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 19 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात तथा प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 19 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी एवं फोर्मा अप्रार्थी संख्या 19 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडा होते है। क्योंकि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण वैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है साथ ही प्राथी को अपने हिस्से की राजीयात पर फसल सुरक्षार्थ तारबन्दी करवानी है, इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का दावा करना लाजमी या है। दिनांक 17.06.2022 को प्रार्थी ने इस आशय का एक प्रार्थनापत्र श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय ादेडा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय ने संबंधित पटवारी हल्का आराजीयात का नाप चोप करवाने हेतु निर्देशित किया। जब प्रार्थी ने संबंधित पटवारी हल्का से राजीयात का नाप चौप कर स्थायी सीमा चिन्ह अंकित करने तथा पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया तो वारी हल्का खवास ने नाप चौप करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 18.12.2022 को अप्रार्थीगण एवं ोसियों ने सीमा चिन्ह नही होने की धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हो के ाव में हमारे खेत में हंकाई बुवाई नही करने दी जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः र्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के देश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय वाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की णी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन ा। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की तेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी र्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके शेषपुरा तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 220–204 में दर्ज खसरा नम्बर , 418, 419, 420, 560, 561, 562, 630, 730 किता 9 कुल रकबा 2.13 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा मानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना ना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी